

फार्म/FORM 4  
(नियम 55(7) देखें)  
(See Rule 55(7))

पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन  
NOMINATION FOR FAMILY PENSION

मैं .....एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, दस वर्ष की अर्हकर सेवा की समाप्ति के पश्चात मेरे/मेरी मृत्यु हो जाने पर निम्न क्रम अनुसार दर्शाए पारिवारिक पेंशन 1964, जो केन्द्रिय सरकार द्वारा स्वीकृत की जाएगी, को प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ।

I ..... hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family to receive in the order shown below the family pension 1964 which may be granted by the Central Government in the event of my death after completion of ten years qualifying service.

नामित व्यक्ति का नाम व पता Name & address of nominee	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the Govt. servant	आयु Age	विवाहित या अविवाहित Whether married or unmarried

मेरे द्वारा दिनांक ..... को पहले दिए गए नामांकन को रद्द करते हुए इस नामांकन को उसके स्थान पर रखा जाए।

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ..... which stands cancelled.

नोट:- हस्ताक्षर के पश्चात किसी का नाम शामिल न किया जा सके इसके लिए सरकारी कर्मचारी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के रिक्त स्थान को काटते हुए रेखा खींच दे।

Note :- The Govt. servant should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

दिनांक..... दिन को ..... माह .....199 के ..... बजे

Date this.....day of.....199 at.....

साक्षी के हस्ताक्षर/witnesses to signature.

1. ....

2. ....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर  
Signature of Govt. Servant  
पदनाम  
Designation.

(कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाना)  
( To be filled in by the Head of Office )

द्वारा नामांकित /Nomination by.....

पदनाम/Designation.....

कार्यालय/Office.....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर  
Signature of Head of Office

दिनांक/Date.....

पदनाम/Designation.....